

23/7/24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता श्री प्रवेश शर्मा हाजिर। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र ^{सशपथ} बाबत बाणस्र बाद विद्वा करमे हेतु पेश कर निवेदन किया। कि वादी उक्त उक्तवानी बाद को जागे नहीं चलना चाहते हैं वादी। प्रार्थी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री प्रवेश शर्मा की। प्रार्थना पत्र बाबत बाद विद्वा स्वीकार किया जाता है। पत्रावली कुलल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 23/7/24 को सेरे इजलास सुनाया गया।

रतनलालसेनी
Identified by
Prakash
23/7/24

(Signature)
20 5 24

सहायक न्यायाधीश
जयपुर न्याय प्रदाय